an>

Title: Need to give relaxation in eligibility conditions to pre-2009 Ph.D holders in appointment as lecturers in colleges.

श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों का भारी अभाव है। यूजीसी द्वारा वर्ष 2009 से नेट तथा स्लैट की अनिवार्यता के कारण जिन लोगों ने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया, उन लोगों को आज भी उच्च शिक्षा विभाग में चूंकि उन्होंने नेट तथा स्लैट उन मानकों के आधार पर नहीं किया है, इसलिए उन्हें नहीं लिया जाता है। यह परिस्थिति पूरे देश के अंदर है। मेरे राज्य उत्तराखण्ड के अंदर भी ऐसे शोध शिक्षार्थी, जिनका शोध कार्य वर्ष 2009 के पूर्व हो चुका है, उन्हें नहीं लिया जा रहा है।

अतः ऐसे शोधार्थियों की समस्याओं को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हस्तक्षेप से उन्हें नियमों में पूर्व की भांति शिथिलता दी जाए तथा उत्तराखण्ड प्रदेश सरकार को भी निर्देशित किया जाए कि वे इस प्रकार के युवाओं का समाधान उदारता के साथ निकाल सकें।